



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062023-246337
CG-DL-E-07062023-246337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2391]
No. 2391]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2023/ज्येष्ठ 17, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2023/JYAISHTHA 17, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2023

(आय-कर)

का.आ. 2501(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि अर्थात्, 2743298 ऑटोरियोलि.(पैन: एएसीसीजेड 0130बी), (जिसे इसमें इसके पश्चात निर्धारिती कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में उसके द्वारा किए गए पात्र विनिधान (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनिधान कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

- (i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि, जिसमें उक्त विनिधान किया गया है और उस तारीख को, जिसको ऐसे विनिधान का परिसमापन किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के अंतर्गत आने वाले सभी संगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए इस अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा;
- (ii) निर्धारिती ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के उपबंधों की अनुपालन के संबंध में आय-कर नियमावली, 1962 के नियम 2घख के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार इस

अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे *स्पष्टीकरण* में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप संख्या 10खखग में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;

- (iii) निर्धारिती भारत में तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में ब्यौरे की सूचना तिमाही के दौरान तिमाही के अंत से एक मास के भीतर आय-कर नियम, 1962 के नियम 2घख के खंड (V) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप सं. 10खखख में देगा;
- (iv) निर्धारिती, ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए अर्हक हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखो का रख रखाव करेगा;
- (v) निर्धारिती ओंटारियो प्रांत की सरकार की विधियों अथवा कनाडासरकार की संघीय विधियों अथवा दोनों के तहत विनियमित होता रहेगा;
- (vi) निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हिताधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या कोई समरूप प्रतिकर का उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं की कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी होगा;
- (vii) निर्धारिती के उपार्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को और खंड (vi) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए तथा पेंशन निधि के उपार्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य निजी व्यक्ति के किसी फायदे को भारत में विनिधान करने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण या उधार [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण* 2 के खंड (ii) के उप-खंड (ख) में यथापरिभाषित] के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को वर्जित करते हुए लागू नहीं होता है;
- (viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण*-2 के खंड (ii) के उप-खंड (ख) में यथापरिभाषित] नहीं होगा; और
- (ix) निर्धारिती विनिधान प्राप्तकर्ता [इस अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के *स्पष्टीकरण*-2 के खंड (i) में यथापरिभाषित] के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग नहीं लेगा परंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान की संरक्षा करने के लिए निगरानी तंत्र को, जिसमें निदेशकों या कार्यपालक निदेशक को नियुक्त करने के अधिकार सम्मिलित है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम की धारा 10के खंड (23चड.) और इस अधिसूचना में यथाउल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट के लिए अपात्र ठहराएगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 36/2023/फा.संख्या500/पीएफ 9/एस10(23चड.)/एफटी और टीआर-2]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव